



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



कार्यालय आदेश

संख्या-01 / योब0-10 / 2014-26 दिनांक 26/6/18

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4 / योबजट-42 / 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति गठित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षापरान्त नदी तट पर वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। यह कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होगी एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300
पौधों की दूरी	2mx3m
1 यूनिट का परिमाप	2000 m ² 100*20
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	237.38 रुपये


क्र. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मात्रव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	साप्तमी (₹0 में)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
A अग्रिम कार्य (पृथम वर्ष)						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति इकाई	0.6	142.43		142.43
2	घनी झाड़ी सफाई	प्रति इकाई	2	474.76		474.76
3	घेरान कार्य	प्रति इकाई	-			
3.1	आर०सी०सी० पीलर 82 सं 823.00 रु० प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	118	28010.84	39475.16	67486.00
3.2	कंटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रु० प्रति किंग्रा० की दर से 225 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	14472.00	14472.00

3.3	कंटीलेतार को खींचने, सीधा करने, रखेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	5.93	1407.66		1407.66
3.4	आर०सी०सी० पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य स्थल तक डुलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	27.51	6530.32	5763.38	12293.70
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 967 पीट प्रति हेठो (सरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	प्रति इकाई	6.60	1566.71	0.00	1566.71
5	मृदा एवं जल संरक्षण—गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डैम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	प्रति इकाई	1.20	284.86	0.00	284.86
	कुल:-		161.84	38417.58	59710.54	98128.12
B समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	पौधों का क्रय डुलाई सहित 360	प्रति इकाई	10 रु० प्रति	0	0.00	3600.00
2	वृक्षारोपण	प्रति इकाई	6.6	1566.71	0.00	1566.71
3	दो कोडनी एवं निकौनी	प्रति इकाई	7.50	1780.35	0.00	1780.35
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	4272.84		4272.84
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	472.13	472.13
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई		0.00	500.00	500.00
	कुल:-		32.10	7619.90	4572.13	12192.03
C सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोडनी-निकौनी	प्रति इकाई	4.2	997.00	0.00	997.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	5697.12	0.00	5697.12
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	284.86	275.00	559.86
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	0.62	147.18	100.00	247.18
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	3237.86	0.00	3237.86
	कुल:-		43.66	10364.01	1036.40	11400.41
D सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	एक कोडनी-निकौनी	प्रति इकाई	4.2	997.00		997.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	5697.12	0.00	5697.12
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.2	284.86	275.00	559.86
5	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	3237.86		3237.86
	कुल:-		43.04	10216.84	479.90	10696.74

E	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)					
1	एक कोडनी-निकौनी	प्रति इकाई	4.2	997.00		997.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / युरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	2848.56		2848.56
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	284.86	275.00	559.86
	कुल:-		17.4	4130.41	479.90	4610.31
F	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	2848.56		2848.56
	कुल:-		12	2848.56	0.00	2848.56
G	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	2848.56		2848.56
	कुल:-		12	2848.56	0.00	2848.56
	सकल योग:-		322.040	76445.86	66278.87	142724.73

नोट

- (1) कंटीले तार का क्रय GeM द्वारा अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की समिति की अनुशंसित दर पर किया जाएगा (जो न्यूनतम हो)।
- (2) प्रत्येक ब्लॉक के बीच सुगम आवगमन हेतु कुछ अंतर रखा जाए, ताकि आदमी एवं जानवर का आवगमन हो सके। व्यवहारिक रूप से 10 ब्लॉक को 1 किमी० माना जा सकता है।
- (3) स्थल पर उपलब्ध भूमि के आकार एवम् लगाए जाने वाले पौधों की संख्या के अनुसार क्रमांक (A) से क्रमांक (E) तक कार्यों की दर को Pro-rata आधार पर स्थल – विशिष्ट प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात व्यय किया जाएगा।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01 / यो०ब०-१०/२०१४- ८०५ दिनांक-२६/६/१८

प्रतिलिपि :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी वन संरक्षक
8. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
9. उप सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड
10. इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



कार्यालय आदेश

संख्या-01 / योब0-10/2014-२५ दिनांक २६/६/१८

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/
योबजट-42 / 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य
हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति गठित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य
स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त छोटी ऊँचाई के पौधे के रैखिक वृक्षारोपण हेतु
अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। छोटी ऊँचाई के पौधे के रैखिक वृक्षारोपण की यह 10
वर्षीय योजना वन संरक्षण अधिनियम के अनुपालन हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के लिए लागू
होंगी। यह कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होगी एवं वृक्षारोपण
दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।

छोटी ऊँचाई के पौधे के रैखिक वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	967
पौधों की दूरी	2mx2m
1 यूनिट का परिमाप (90m x 43m)	3870 m2
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	266 m
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	237.38 रुपये

क्र. सं.	कार्य का विवरण	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (₹ में)	सामग्री (₹ में)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
A	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)					
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति इकाई	1.161	275.60		275.60
2	घनी झाड़ी सफाई	प्रति इकाई	3.87	918.66		918.66
3	घेरान कार्य	प्रति इकाई	-			

3.1	आर०सी०सी० पीलर 90 सं० 823.00 रु० प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड़ा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	129	30622.02	43448.00	74070.02
3.2	कंटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रु० प्रति कि०ग्रा० की दर से 250 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	16080.00	16080.00
3.3	कंटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्टेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	6.58	1561.96		1561.96
3.4	आर०सी०सी० पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य ख्थल तक ढुलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	24.58	5834.80	7687.00	13521.80
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 967 पीट प्रति है० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	प्रति इकाई	21.28	5051.45	0.00	5051.45
5	मृदा एवं जल संरक्षण—गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेनेशन डैम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	प्रति इकाई	3.87	918.66	0.00	918.66
	कुल:-		190.341	45183.15	67215.00	112398.15
B	समाप्तन कार्य (द्वितीय वर्ष)					
1	पौधों का क्रय ढुलाई सहित (967+20 प्रतिशत (स्थायी पौधशाला से))	10 रु० प्रति	0	0.00	11500.00	11500.00
2	बृक्षारपण	प्रति इकाई	21.28	5051.45	0.00	5051.45
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति इकाई	24.19	5742.22	0.00	5742.22
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	4272.84		4272.84
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	1523.00	1523.00
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं सकलन आदि)	प्रति इकाई		0.00	500.00	500.00
	कुल:-		63.47	15066.51	13523.00	28589.51
C	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति इकाई	13.545	3215.31	0.00	3215.31
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	5697.12	0.00	5697.12
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.33	315.72	306.00	621.72
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	2	474.76	1200.00	1674.76
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	41	9732.58	712.14	10444.72
	कुल:-		81.875	19435.49	2879.54	22315.03
D	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति इकाई	13.545	3215.31		3215.31
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	5697.12	0.00	5697.12
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.33	315.72	306.00	621.72
5	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	44	10444.72		10444.72
	कुल:-		82.875	19672.87	967.40	20640.27
E	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति इकाई	13.545	3215.31		3215.31
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40

3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	2848.56		2848.56
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.33	315.72	306.00	621.72
	कुल:-		26.875	6379.59	967.40	7346.99
F	सम्पोषण कार्य (बज्जम वर्ष)					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	2848.56		2848.56
	कुल:-		12	2848.56	0.00	2848.56
G	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	2848.56		2848.56
	कुल:-		12	2848.56	0.00	2848.56
H	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	2848.56		2848.56
	कुल:-		12	2848.56	0.00	2848.56
I	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	2848.56		2848.56
	कुल:-		12	2848.56	0.00	2848.56
J	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	2848.56		2848.56
	कुल:-		12	2848.56	0.00	2848.56
	सकल योग:-		505.436	119980.40	85552.34	205532.74

नोट

- (1) कंटीले तार का क्रय GeM द्वारा अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की समिति की अनुशंसित दर पर किया जाएगा (जो न्यूनतम हो)।
- (2) प्रत्येक ब्लॉक के बीच सुगम आवगमन हेतु कुछ अंतर रखा जाए, ताकि आदमी एवं जानवर का आवागमन हो सके।
- (3) स्थल पर उपलब्ध भूमि के आकार एवम् लगाए जाने वाले पौधों की संख्या के अनुसार क्रमांक (A) से क्रमांक (E) तक कार्यों की दर को Pro-rata आधार पर स्थल – विशिष्ट प्रावक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात व्यय किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01 / यो0ब0-10/2014-804

दिनांक-26/6/18

प्रतिलिपि :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी वन संरक्षक
8. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
9. उप सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड
10. इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची